## न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म०प्र0 प्रकरण कमांक 330 / 2015 सत्रवाद <u>संस्थित दिनांक 14.10.2015</u>

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा जिला भिण्ड म०प्र०।

-अभियोजन

बनाम

सतीश उर्फ राजू पुत्र गन्धर्वसिंह जाटव, उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम भीमपुरा थाना फूप जिला भिण्ड म0प्र0

न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद श्री केशवसिंह के न्यायालय के मूल आपराधिक प्र०क०. 671/2015 इ०फौ० से उदभूत यह सत्र प्रकरण क0 330/2015 शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर। अभियुक्तगण द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता।

> //दोषमुक्ति आदेष अंतर्गत धारा २३२ द.प्र.सं. // 02-08-2016 को पारित किया गया। आज दिनांक

- आरोपी का विचारण धारा 326 भा0दं0वि0 के अपराध के आरोप के संबंध में 01. किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि 11.08.2015 को 13:00 बजे थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में रामसेवक जाटव के मकान के सामने दात जिसे धारदार हथियार के रूप में प्रयुक्त कर फरियादी के वाए हाथ का अंगूठा काटकर स्वेच्छ्या गंभीर उपहति कारित की।
- प्रकरण में यह अविवादित है कि उभय पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार 02. पर आरोपी को धारा 294, 506बी भा.दं.वि के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी सुरेन्द्रसिंह जो 03. कि एम्बूलेंश 108 पर चालक की ड्यूटी करता है। घटना दिनांक 11.08.2015 को ड्यूटी के बाद करीब 13:00 बजे अपने किराए के मकान गोहद चौराहा में था। आरोपी सतीश आया और

उसे बाहर बुलाकर ले गया और बाहर ले जाकर बोला कि उसकी पत्नी पपीता ने उसके ऊपर न्यायालय गोहद में मेंटीनेंस का केस चलाया गया है जो कि उसके (फिरियादी सुरेन्द्रिसंह) के द्वारा चलवाया गया है। फिरियादी ने कहा कि उससे उसका कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों का आपसी विवाद है। इसी पर से आरोपी उसे गंदी गंदी गालियाँ देते हुए फिरियादी के वांए हाथ के अंगूठे को दाँतों से काट दिया जिससे चोट लगकर खून निकल आया। झगडे के समय फिरियादी की माँ रामकटोरी व पत्नी सुनीति भी आ गई जिन्होंने बीच बचाव किया। आरोपी घटना कारित कर यह बोल रहा था कि आज तो बच गया है आइंदा जान से मार देगा। उक्त संबंध में घटना की रिपोर्ट फिरियादी सुरेन्द्रिसंह के द्वारा थाना गोहद चौराहा में की गई जिस पर थाना में अपराध कमांक 19/2015 धारा 323, 294, 506बी भा.दं.वि का पंजीबद्ध किया गया। फिरियादी का मेडीकल परीक्षण कराया गया तथा एक्सरे भी कराया गया, एक्सरे रिपोर्ट में उसके बांए हाथ के अंगूठे में फेक्चर पाया जिस पर से धारा 326 भा.दं.वि का इजाफा किया गया। घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार विचारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

- 04. विचारित किए जा रहे आरोपी के विरूद्ध धारा 294, 506 बी, 326 भा0 दं0 वि0 का अरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर आरोपी को धारा 294, 506 बी भा.दं.वि. के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है।
- 05. दंड प्रकृिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोश होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया किया है।
- 06. आरोपी के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:--
  - 1. क्या दिनांक 11.08.2015 को 13:00 बजे थाना गोहद चौराहा क्षेत्र में रामसेवक जाटव के मकान के सामने आरोपी के द्वारा दॉत जिसे धारदार हथियार के रूप में प्रयुक्त कर फरियादी के वांए हाथ का अंगूठा काटकर गंभीर उपहित कारित की?
  - 2. क्या आरोपी के द्वारा उक्त कृत्य स्वेच्छया पूर्वक कारित किया गया?

## -: सकारण निष्कर्षः-

## बिन्दु क्रमांक ०१ व ०२ :=

- 07. घटना के संबंध में फरियादी सुरेन्द्रसिंह अ0सा0 2 के द्वारा यद्यपि उसके अंगूठे में चोट लगना बताया है, किन्तु साक्षी के द्वारा कहीं भी आरोपी के घटनास्थल पर मौजूदगी या आरोपी के द्वारा कोई कृत्य किये जाना जिससे कि उसकी उंगली में चोट आकर उपहित कारित होना नहीं बताया है। यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 3 के ए से ए भाग पर एवं नक्शामौका प्र.पी. 4 के बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। फरियादी को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उसके कथनों में आरोपी को घटना में संलग्न करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।
- 08. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अन्य साक्षी सुनीता जो कि फरियादी की पत्नी है व कटोरी बाई अ0सा0 4 जो कि फरियादी की माँ है के कथनों में भी आरोपी को घटनास्थल पर मौजूद होने एवं घटना में किसी प्रकार से संलग्न होने के संबंध में आरोपी के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं आई है, जिससे कि आरोपी के द्वारा घटना कारित करने का तथ्य प्रमाणित हो सके। उक्त साक्षीगण को भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए है, किन्तु इस दौरान भी उनके कथनों में आरोपी को घटना में लिप्त करने वाला कोई भी तथ्य नहीं आया है।
- 09. यद्यपि चिकित्सक डॉक्टर आलोक शर्मा अ०सा० 1 के कथनों में फरियादी के वांए हाथ के अंगूठे में दॉत से काटने का फटा हुआ घॉव मौजूद होना और एक्सरे परीक्षण में उसमें अस्थिमंग होना पाया गया है जो कि मेडीकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं एक्सरे रिपोर्ट प्र.पी. 2 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि चिकित्सक के द्वारा आहत के वांए हाथ के अंगूठे में उक्त अनुसार चोट व फ्रेक्चर होना पाया गया है आरोपी की घटना में सलग्न होने अथवा उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य नहीं हो सकती है।
- 10. इसी प्रकार प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखक किशनलाल अ०सा० 5 के कथन के आधार पर जिन्होंने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना बताई गई है और जिन्होंने अन्य सहयोगी नायकसिंह के द्वारा विवेचना की कार्यवाही के संबंध में बताया गया है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट के आधार पर अथवा विवेचना की कार्यवाही के आधार पर आरोपी के विरूद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध मानी जाकर उसे दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु कोई साक्ष्य होनी नहीं मानी जा सकती है।

- 11. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभियोजन आरोपी या किसी आरोपी की घटनास्थल पर मौजूद होने और उनके द्वारा फरियादी सुरेन्द्रसिंह को मारपीट कर दॉतों से काटकर गंभीर उपहित कारित करने के संबंध में प्रकरण की प्रमाणिकता हेतु कोई साक्ष्य मौजूद होना नहीं पाई जाती है, जिसके आधार पर कि आरोपी को दोषसिद्ध ठहराया जा सके।
- 12. अतः आरोपी के विरूद्ध दोषसिद्ध ठहराए जाने हेतु साक्ष्य न होने से आरोपी सतीश उर्फ राजू को आरोपित अपराध धारा 326 भा0दं0वि0 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। प्रकरण में कोई जप्तशुदा वस्तु नहीं है।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित एवं पारित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

(डी०सी०थपलियाल) अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड (म०प्र०)

(डी0सी0थपलियाल) नी न्यायार्ध।
जा—मिण्ड,(म८
स्वार्धाः
जा—सिण्ड,(म८
स्वार्धाः
स्वार्धाः
स्वार्धः
स्वार्यः अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद